

Title: Need to provide honorarium at uniform rate to Anganwadi workers and extend them social security benefits particularly in Uttar Pradesh.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा स्वस्थ एवं समर्थ भारत को कुपोषण से मुक्ति दिलाने हेतु आँगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से "समेकित बाल विकास योजना" (आई.सी.डी.एस.) को संचालित किया जा रहा है। वर्तमान समय में 14 लाख से अधिक आँगनवाड़ी केन्द्रों पर 28 लाख से अधिक महिला कार्यकर्त्याँ एवं सहायिकाएं हैं। इसके बावजूद देश के विभिन्न राज्यों में आँगनवाड़ी कार्यकर्त्याँ एवं सहायिकाओं को भिन्न-भिन्न मानदेय मिल रहा है, जिसके कारण उनमें काफी असन्तोष है। उत्तर प्रदेश में 3500 रूपया प्रतिमाह जबकि हरियाणा में 7500 रूपया प्रतिमाह मानदेय दिया जा रहा है। इन लोगों पर पुष्टाहार के साथ-साथ जनगणना, पत्स पोलियो एवं अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पूरा करने का दायित्व है। इतने वर्षों के बावजूद इन्हें अभी तक राज्य कर्मचारी घोषित नहीं किया गया है। यहाँ तक कि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्याँ एवं सहायिकाओं की पदोन्नति भी समय से नहीं हो रही है, न ही उनको समय से वेतन भुगतान हो रहा है।

अतः सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि आँगनवाड़ी कार्यकर्त्याँ एवं सहायिकाओं को स्थायी कर्मचारी घोषित कर इनको सेवानिवृत्ति लाभ एवं पेंशन का प्रावधान किया जाए।